न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–63 / 2019 दायर दिनांकः 03.06.2019

GCMS NO:- 2019/00336

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

बख्तावरा पुत्र कंवरा जाति बैरवा निवासी ग्राम बाछोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी ।

– वादी

बनाम

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादी के अभिभाषक श्री सीताराम धाकड।

निर्णय दिनांक 27.07.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बाछोला पटवार हल्का बाछोला तहसील नैंनवां के दिनांक 26.11.1975 को भूमि खसरा सं. 1859 / 1 रकबा 05–00 बीघा नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी व आवंटन कमेटी द्वारा वादी को भूमि खसरा संख्या 1859 / 1 रकबा 05–00 बीघा भूमि पर भौतिक कब्जा संभलाया गया था तब से वादी भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। यह कि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 2246 / 1859 है। राजस्व रिकार्ड में लीजदार में दर्ज है। यह कि वादी तब से भूमि खसरा संख्या 2246 / 1859 रकबा 5 बीघा पर 10 वर्षों तक गैर खातेदारी की हैसियत से व 10 वर्ष के बाद से खातेदारी की हैसियत से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि पर कृषि योग्य बनाने में काफी रकम खर्च की है। कुआ तथा विधुत कनेक्शन लगा रखा है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि भूमि खसरा संख्या 2246 / 1859 रकबा 5 बीघा को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये तथा इस आशय का इन्द्राज समस्त राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में दर्ज करवाये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श–2, प्रदर्श–3,4,6,8, 9,10,11,12,13 तथा आवंटन आदेश, शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब / रिपोर्ट तलब किया गया। जवाब सरकार पैरोकार अनुसार जमाबन्दी संवत 2073–76 से प्रार्थी बख्तावर पुत्र कुंवर कौम बैरवा सा0 देह लीजदार दर्ज है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब सरकार पैरोकार का अवलोकन किया। वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी लीजदार से खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बयानों से यह स्पष्ट होता है कि वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अतः वादी को लीजदार से खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बाछोला पटवार मण्डल बाछोला की भूमि खसरा सं. 1859 / 1 रकबा 05–00 बीघा भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित जाता है। डिकरी पर्चा जारी किया जावे। तहसीलदार नैनवा को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना में नियमानुसार भू–राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी आदि में इन्द्राज किया जावे।निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:21 IST
Reason: SelfAttested

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner